

### वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



सा॰: 5-1(808)/2022-PD

Dated

19.05.2022

प्रेषक :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में :

सी.एस.आई.आर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाईयों के निदेशंक/प्रमुख

विषय:

7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए

प्रोत्साहन के संबंध में।

#### महोदया/ महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश दिया गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में समान लाभ सीएसआईआर के गैर-वै. व त. (non-S&T) कर्मचारियों को देने के लिए, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/5/2017-स्था. (वेतन-1) को अपनाने के लिए महानिदेशक, सीएसआईआर ने, वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की सहमित से, मंजूरी प्रदान की है।

यह योजना सीएसआईआर मुख्यालय में केंद्रीय रूप से संचालित की जाएगी और भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के तहत किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य कोई भी प्रोत्साहन, वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की सहमित और महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, पात्र कर्मचारियों के संबंध में प्रस्तावों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा सीएसआईआर मुख्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।

यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय कृपया जानकारी, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,

19 44 7022

(एम. अरुण मणिकण्ड भारति) अवर सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्नक: यथोपरि प्रतिलिपि:

1) प्रमुख, आईटी प्रभाग - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सी.एस.आई.आर वेबसाइट और पॉलिसी रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराएं

2) कार्यालय प्रति

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax : 91-11-23714788 Website : http://www.csir.res.in

#### सं. 1/5/2017-स्था.(वेतन-।) भारत सरकार न, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

#### कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक : 15 मार्च, 2019

#### कार्यालय ज्ञापन

विषय : 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की स्थिति में नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में।

सेवा में शामिल होने के बाद नई उच्चतर योग्ताएं प्राप्त करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को रु 2000/- से रु 10000/- तक एक बारगी एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जैसा कि इस विभाग के दिनांक 09.04.1999 के का ज्ञा. सं. 1/2/89-स्था.(वेतन-।) एवं अन्य संबंधी कार्यालय ज्ञापनों में प्रावधान है।

- 2. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन दरों की समीक्षा की गई है और इसकी रिपोर्ट के पैरा 8.9.11 से 8.9.14 में युक्तिसंगत एवं सरल बनाने का परामर्श दिया गया है।
- 3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) के दिनांक 25.07.2016 के संकल्प सं. 1-2/2016-आईसी के पैरा 7 में प्रावधान है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित मामले को वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को संदर्भित किया जाएगा और इस पर उस समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने तक इस प्रोत्साहन सिहत सभी भत्तों को मौजूदा वेतन संरचना (छठे केंद्रीय वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) की वर्तमान दर्रो पर ही भुगतान करने की अपेक्षा रहेगी, जैसे कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को वेतन में संशोधन नहीं किया गया हो।
- 4. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर और वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में भत्तों के संबंध में सरकार का निर्णय व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी द्वारा जारी किया गया है।
- 5. राष्ट्रपित नई उच्चतर योग्ताएं हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के विषय पर यह निर्णय लेते हैं कि मौजूदा सभी आदेशों/का.जा/अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में, सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जॉब से सीधे तौर पर जुड़े क्षेत्र में नई योग्यता हासिल करने के लिए पाठ्यक्रमों के लिए निम्निलिखित एकबारगी एकमुश्त दरें प्रोत्साहन के रूप में अनुमेय होंगी:

क्र.सं.	योग्यता	राशि (रु.)
1.	पीएचडी या समकक्ष	30,000
. 2.	एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	25,000
3.	एक वर्ष या कम अवधि के लिए स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	20,000
4.	तीन वर्षों से अधिक अविध के डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	15,000
5.	तीन वर्ष या इससे कम अवधि के डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष	10,000

- 6. ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो किसी संगठन/मंत्रालय/विभाग की कार्यात्मक अपेक्षा की हष्टि से प्रत्यक्ष रूप से संगत हैं लेकिन उपरोक्त पैरा 5 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं, को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संबंधित आईएफडी के परामर्श से उपरोक्त पैरा 5 के क्रम सं. 4 या 5 के अधीन विशेष रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
- 7. मंत्रालय/विभाग अपने पाठ्यक्रमों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि उपरोक्त योग्यताओं के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान करना नीचे पैरा 8 में निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। उपरोक्त सूचीबद्ध योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अपने आंतरिक वित्त प्रभाग के परामर्श से विचार किया जाएगा और पैरा 8 के अधीन निर्धारित किए गए मापदंड पूरे कर लिए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के बाद ही आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
- 8. <u>7वें सीपीसी के लागू होने की स्थिति में नई योग्यता हासिल करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मापदण्ड/दिशानिर्देश, निम्नलिखित हैं:-</u>
- 8.1 यह प्रोत्साहन उन योग्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगा जो उस पद के भर्ती नियमों में अनिवार्य या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
- 8.2 केवल शैक्षणिक या साहित्यिक विषयों में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। योग्यता हासिल करना, उसके द्वारा धारित पद या अगले उच्चतर पद पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से सीधे तौर पर जुड़ा होना चाहिए। उस पद के कार्यों एवं प्राप्त योग्यता में सीधा संबंध होना चाहिए। और इससे सरकारी सेवक की दक्षता में बढ़ोतरी होनी चाहिए।
- 8.3 सभी पदों के लिए प्रोत्साहन की मात्रा एक समान होगी, भले ही उनका वर्गीकरण या ग्रेड या विभाग कोई भी हो।
- 8.4 यह प्रोत्साहन ऐसे मामले में देय नहीं होगा, जहां सरकारी सेवक, सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है या वह योग्यता हासिल करने के लिए अध्ययन छुट्टी लेता है।
- 8.5 सेवा में शामिल होने के बाद हासिल की गई योग्यता के लिए ही प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- 8.6 कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा यदि शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर नियुक्ति की गई है। यदि कर्मचारी नियुक्ति के बाद की तारीख में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करता है तो कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा।
- 8.7 प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र बनाने वाली ऐसी योग्यताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गठित संबंधित विनियामक निकायों जैसे एआईसीटीई, भारतीय चिकित्सा परिषद इत्यादि या सरकार दवारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- 8.8 किसी कर्मचारी के करिअर में प्रोत्साहन, अनुवर्ती अनुदानों में न्यूनतम दो वर्ष के अंतराल के साथ अधिकतम दो बार तक ही सीमित होगा।
- 8.9 सरकारी सेवक को उच्चतर योग्यता प्राप्त करने की तारीख से छह माह के भीतर दावा प्रस्तुत करना चाहिए।
- 9. दिनांक 01.07.2017 या इसके बाद प्राप्त उपरोक्त योग्यताओं के लिए ही प्रोत्साहन देय होगा।

- 10. ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.07.2017 को या इसके बाद इस का.जा. जारी होने की तारीख तक नई उच्चतर योग्यता हासिल की है वे भी इस का.जा. के जारी होने के छह माह के भीतर ये प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए दावा कर सकते हैं।
- 11. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
- 12. इस कार्यालय ज्ञापन के हिंदी व अंग्रेज़ी रूप के किसी प्रावधान में विरोधाभास की परिस्थिति में अंग्रेज़ी रूप में वर्णित प्रावधान ही मान्य होंगे।

राजीव बाहरी)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

प्रति अग्रेषित:-

- 1. भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक।
- 2. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
- 3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
- 4. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग।
- 5. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें।
- 6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एआईएस अन्भाग)/जेसीए/प्रशा. अन्भाग।
- 7. सचिव, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम (कर्मचारी पक्ष), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- 8. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद।
- 9. प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग/पीईएसबी से सभी अधिकारी/अनुभाग।
- 10. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय।
- 11. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।

(राजीव बाहरी)

अवर सचिव, भारत सरकार



# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110 001 Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001



No.: 5-1(808)/2022-PD

Dated 19.05.2022

From:

Joint Secretary (Admn.)

To

The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

Sub.:

Incentive for acquiring fresh higher qualification, in the 7<sup>th</sup> CPC Scenario –reg.

#### Madam / Sir,

I am directed to state that DG, CSIR, with the concurrence of FA, CSIR, has accorded approval for the adoption of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training OM No. 1/5/2017-Estt(Pay-I) dated 15.03.2019 on incentive for acquiring fresh higher qualification, in the 7<sup>th</sup> CPC Scenario for extending similar benefit to non-S&T employees of CSIR.

The scheme shall be operated centrally at CSIR Hqrs. and any incentive that may be admissible to any employee under the provisions of the aforesaid Govt. of India OM, shall be granted with the concurrence of FA, CSIR and approval of DG, CSIR. For this purpose, the proposals in respect of the eligible employees shall be forwarded by Lab./Instt to CSIR Hqrs. for further necessary action.

It is requested that the above decision may kindly be brought to the notice of all the concerned in your Labs./Instt for their information, guidance and necessary action.

Yours faithfully,

Mulus 19 7022

(M Arun Manikanda Bharathi) Under Secretary (PD)

Encl.: As above

#### Copy to:

1) Head, IT Division - with a request to make this circular letter available on the Website & Policy Repository.

2) Office copy

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303 Fax : 91-11-23714788 Website : http://www.csir.res.in

# No. 1/5/2017-Estt (Pay-I) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training)

North Block, New Delhi Dated the 15<sup>th</sup> March, 2019

#### **OFFICE MEMORANDUM**

Subject: Incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7<sup>th</sup> CPC Scenario – reg.

Central Government Servants acquiring fresh higher qualifications after coming into service are granted incentive in the form of one-time lump-sum amount ranging from  $\stackrel{?}{\sim}2000/to \stackrel{?}{\sim}10,000/-$ , as provided in this Department's OM No. 1/2/89-Estt.(Pay-I) dated 09.04.1999 and other related OMs.

- 2. The 7<sup>th</sup> CPC has reviewed the rates of incentive presently available to employees on this account in addition to pay, and have suggested their rationalization and simplification in Para 8.9.11 to 8.9.14 of their report.
- 3. Ministry of Finance, Department of Expenditure (DOE) Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25.07.2016 vide Para 7 provided that the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7<sup>th</sup> CPC shall be referred to a Committee under the Chairmanship of Finance Secretary, and until a final decision thereon, all allowances including this incentive were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the pay structure based on 6<sup>th</sup> CPC) as if the pay has not been revised w.e.f. 1<sup>st</sup> January, 2016.
- 4. The decision of the Government on various allowances based on the recommendations of the  $7^{th}$  CPC and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of Finance Secretary has been issued as per the Resolution No. 11-1/2016-IC dated 06.07.2017 of DOE.
- 5. The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders/OMs/instructions/guidelines on the subject of granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, the following one-time lump-sum rates as incentive for acquiring fresh higher qualification by a Government employee shall be permissible for courses in fields that are directly relevant to the employee's job:

Sl. No.	Qualification	Amount (₹)
1.	Ph.D. or equivalent.	30,000
2.	PG Degree/Diploma of duration more than one year, or equivalent.	25,000
3.	PG Degree/Diploma of duration one year or less, or equivalent.	20,000
4.	Degree/Diploma of duration more than three years, or equivalent.	15,000
5.	Degree/Diploma of duration three years or less, or equivalent.	10,000

6. Professional courses directly relevant to the functional requirement of the Organization/Ministry/Department but not covered by any one of the categories mentioned in para 5 above, shall be notified specifically under Sl. No. 4 or 5 of para 5 above, by the concerned Ministry/Department in consultation with their respective IFD.

Bahrer 2018

7. Ministries/Departments are free to choose courses on their own. However, the grant of incentive in respect of above qualifications will be subject to the fulfillment of the criteria laid down in para 8 below. The grant of incentive for the qualifications listed above shall be considered by the administrative authorities in consultation with their IFD and necessary orders shall be issued after ensuring that the criteria laid down in para 8 below are fulfilled.

## 8. <u>Criteria/guidelines for granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7<sup>th</sup> CPC Scenario, are as under:</u>

- 8.1. The incentive will not be available for the qualifications which are laid down as essential or desirable qualifications in the recruitment rules for the post.
- 8.2. No incentive shall be allowed for acquiring higher qualification purely on academic or literary subjects. The acquisition of the qualification should be directly related to the functions of the post held by him/her, or to the functions to be performed in the next higher post. There should be direct nexus between the functions of the post and the qualification acquired and that it should contribute to the efficiency of the government servant.
- 8.3. The quantum of incentive will be uniform for all posts, irrespective of their classification or grade or the department.
- 8.4. The incentive shall not be admissible where the government servant is sponsored by the government or he/she avails study leave for acquiring the qualification.
- 8.5. The incentive would be given only for higher qualification acquired after induction into service.
- 8.6. No incentive would be admissible if an appointment is made in relaxation of the educational qualification. No incentive would be admissible if employee acquires the requisite qualification for such appointment at a later date.
- 8.7. The qualifications meriting grant of incentive should be recognized by University Grants Commission, respective regulatory bodies like AICTE, Medical Council of India, etc. set up by Central/State Government or recognized by the Government.
- 8.8. The incentive shall be limited to maximum two times in an employee's career, with a minimum gap of two years between successive grants.
- 8.9. The Government servant should prefer the claim within six months from the date of acquisition of the higher qualification.
- 9. The incentive as per this OM will be admissible for above qualifications acquired on or after 01.07.2017.

(1) Baharas

- 10. Government Servants, who have acquired the fresh higher qualification on or after 01.07.2017 till the date of issuance of this OM, may also claim these incentives within six months from the date of issuance of this OM.
- 11. Insofar as the persons working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
- 12. Hindi Version will follow.

(Bajeev Bahree)

Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries / Departments of Government of India

#### Copy also forwarded to:

- 1. The Comptroller & Auditor General of India.
- 2. Secretary General, Supreme Court of India.
- 3. Controller General of Accounts / Controller of Accounts, Ministry of Finance.
- 4. Union Public Service Commission / Lok Sabha Sectt. / Rajya Sabha Sectt. / Cabinet Sectt. / Central Vigilance Commission / President's Sectt. / Vice-President's Sectt. / Prime Minister's Office / Niti Aayog.
- 5. Governments of all States and Union Territories.
- 6. Department of Personnel and Training (AIS Division) / JCA /Admn. Section.
- 7. Secretary, National Council of JCM (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
- 8. All Members of Staff Side of the National Council of JCM / Departmental Council.
- All Officers / Sections of Department of Personnel and Training / Department of Administrative Reforms & Public Grievances / Department of Pensions & Pensioners' Welfare / PESB.
- 10. Joint Secretary (Pers), Department of Expenditure, Ministry of Finance.
- 11. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
- 12. JD (OL), DoPT, North Block, New Delhi- for Hindi version of this OM.

(Ŕajeev Bahree)

Under Secretary to the Government of India